(12

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–01 / लो0ले0–04 / 17–..... / एम0, पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

E-mail/Fax

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक / खान निरीक्षक
जिला खनन कार्यालय,
बक्सर / नालंदा / सिवान।

विषयः– भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदनों (रा0प्र0) में निहित कंडिकाओं के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा0प्र0) वर्ष 2008–09 की कंडिका 6.3.2 "ईंट मिट्टी के अवैध उत्खनन हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना" जो आपके कार्यालय से संबंधित है, में वसूली हेतु की गयी कार्रवाई के संबंध में लोक लेखा समिति द्वारा दायर नीलाम पत्र की विवरणी साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि दायर नीलाम पत्र वाद की विवरणी विहित प्रपत्र में (सॉफ्ट कॉपी सहित) अद्यतन स्थिति के साथ विभाग को उपलब्ध करायें

वर्ष	कंडिका संख्या	नीलाम पत्र सं0	सन्निहित राशि	अद्यतन वूसली की स्थिति
1	2	3	4	5

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह0 / –
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक ..... 180 ..... / एम0 पटना दिनांक 10/1/18.....

प्रतिलिपिः–सभी उप निदेशक / सहायक निदेशक, अंचल कार्यालय को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि अनुपालन सुनिश्चित करावें।

10/1/18

10/1/18
सरकार के अवर सचिव

D:\Sanjay\Hindi\Draft